(2018)3 एस 0 सी0 आर 0 1019

रामसिंह भाई (रामसिंहभाई) जेराम्भाई

बनाम

गुजरात राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं0- 4885 सन 2018) 24 अप्रैल, 2018

कुरियन जोसेफ, मोहन एस 0 शांतनागौदर, नवीन सिन्हा न्यायमूर्तिगण

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 धारा 28 क- न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनःअवधारण- उच्च न्यायालय या सर्वोच न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत धारा- 54 में पारित निर्णय के तीन मास के भीतर प्रतिकर के पुनःअवधारण हेतू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 28 क अधिकारितता - अभिनिर्धारित न्यायालय द्वारा केवल भाग प्प्प् में पारित अधिनिर्णय के संदर्भ में पुनःअवधारण अन्तर्गत धारा 28 क उपलब्ध - धारा 28 क में न्यायालय का संदर्भ मूल क्षेत्राधिकार के प्रधान सिविल न्यायालय से है - इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का आदेश धारा 28 क की परिधि में नही हैं - अपीलार्थी ऐसे अनुतोष का अधिकारी नही - उसका अधिकार धारा 28 क के अनुसार केवल संदर्भ न्यायालय के अधिनिर्णय पर आधारित है।

अपील निरस्त- न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित- भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 28 क के अन्तर्गत पुनःअवधारण केवल इस अधिनियम के भाग प्प्प् के अन्तर्गत "न्यायालय" द्वारा पारित "अधिनिर्णय" के संबंध में प्राप्त हैं, जिसमें धारा 18 से 28 क (दोनो समावेशी) शामिल हैं। अधिनियम की धारा 28 क में संदर्भित "न्यायालय" धारा 3(घ) में परिभाषित न्यायालय से है। जिसका अर्थ है "मूल क्षेाधिकार का एक प्रधान सिविल न्यायालय" इस प्रकार अपीलीय अदालत का निर्णय धारा 28 क के दायरे में नही। धारा 54 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय अधिनियम के भाग टप्प्प् के अन्तर्गत आते है। जबकि पुनःअवधारण केवल अधिनियम के भाग प्प्प् के अन्तर्गत संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित अधिनियम के संबंध में हैं। हालांकि यदि राज्य प्राधिकरणो/दावेदारो द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष मुआवजे की मात्रा को कम कराने/वृद्वि के लिये उपस्थित हुए हांे, जैसा भी हो, कलेक्टर अधिनियम की धारा 28 क के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय हो जाने तक प्रतिक्षा करेगा और उसके बाद उच्चतर न्यायालय के संशोधित निर्णय के अनुसार प्रतिकर देगा। अपीलार्थी ऐसे किसी अनुतोष का अधिकारी नही, उसकी अधिकारिता यदि कोई है तो केवल अधिनियम की धारा 28 क के अनुसार केवल संदर्भ न्यायालय के अभिनिर्णय पर आधारित है पेरा (3-5) (1021) - सी,डि,ई,एफ)

1019 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (2018) 3 एस.सी.आर.

जोस एंटोनियो क्रूज डॉस आर रोड्रिगेज व अन्य

बनाम

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर व अन्य (1996) 6 एससीसी 746

(1996)8 सप्ल.एससीआर 910 भारतसिंह व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य आदि 2017 एससीसी आनलाईन एससी 1453 - विश्वास व्यक्त किया

न्याय निर्णयन संदर्भ

(1996)8 सप्ल एससीआर 910 पैरा 3 पर विश्वास व्यक्त किया

(2017) एससीसी आनलाईन एससी 1453 पैरा 3 पर विश्वास व्यक्त किया

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल अपील सं0- 4885 सन 2018

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा एस 0 सी0 ए सं0 15980 सन 2012 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26-08-2014 के विरूद्ध

अधिवक्तागण- नचिकेता जोशी, सुश्री सुचेता, उज्ज्वल कुमार, चेतन उप्पल, अपीलार्थी की ओर से शमिक संजानवाला, सुश्री जेसल वाही, सुश्री विशाखा, सुश्री ममता सिंह, सुश्री हेमानातिक वाही, प्रत्यार्थीगण की ओर से-

न्यायालय का निर्णय

कुरियन, न्यायमूर्ति

1- अनुमति प्रदान की गयी

2- क्या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 28 क के तहत प्रतिकर के पुनः अवधारण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय या सर्वोच न्यायालय में अपील अधिनियम की धारा 54 में पारित निर्णय से तीन माह की अवधि के अन्दर दायर किया जा सकता है। यही प्रश्न है जो विचार के लिये इस वाद में प्रस्तुत है।

3- अधिनियम की धारा 28 क(1) इस प्रकार हैः-

“28 क न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुनःअवधारण- (1) जहां इस भाग के अधीन किसी अधिनिर्णय में आवेदन को न्यायालय कलेक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता हैं वहा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसी अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली अन्य सभी भूमि में हितबद्ध ऐसे व्यक्ति जो कलेक्टर के अधिनिर्णय से भी व्यथित है, इस बात के होते हुए भी कि उन्होने धारा 18 के अधीन कलेक्टर से आवेन नही किया है, न्यायालय के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर कलेक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर पुनः अवधारित की जाए।

परन्तु तीन मास की ऐसी कालावधि की संगणना करने में, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलेक्टर से आवेदन किया जायगा, उस दिन को, जिस दिन अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो अपवर्जित कर दिया जाएगा (उद्धृत)। प्रावधान के आरम्भिक शब्दो से यह स्पष्ट है कि धारा 28 क के अन्तर्गत पुनः अवधारण केवल अधिनियम के भाग प्प्प् के अन्तर्गत " न्यायालय" द्वारा पारित "आधिनिर्णय" के संबंध में उपलब्ध है, जिसमें धारा 18 से 28 क (दोनो समावेशी) शामिल है। अधिनियम की धारा 28 क में संदर्भित "न्यायालय" धारा 3 (घ) के अन्तर्गत परिभाषित है। जिसका अर्थ है। "न्यायालय" शब्द से "आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है।" इस प्रकार अपीलय न्यायालय का निर्णय धारा 28 क के दायरे में नही है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 54 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय अधिनियम के भाग टप्प्प् के अन्तर्गत है। जबकि पुनःअवधारण केवल अधिनियम के भाग प्प्प् के तहत संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय के संबंध में है। (जोस एंटोनियो क्रूज डॉस आर 0 रोड्रिगेस व अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर व अन्य) भरतसिंह और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, में अपने हालिया निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इस विषय का सर्वेक्षण किया ओर विधिक सिंद्धान्त को दोहराया है।

4- हालाकि यदि राज्य/प्राधिकरणो/दावेदारो द्वारा उच्चतर न्यायालयो के समक्ष मुआवजे की मात्रा को कम कराने/वृद्धि के लिये उपस्थित हुए है। जैसा भी हो, कलेक्टर अधिनियम की धारा 28 क के अन्तर्गत, अन्तिम निर्णय हो जाने तक प्रतिक्षा करेगा और उसके बाद उच्चतर न्यायालय के संशोधित निर्णय के अनुसार प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा।

5- अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर प्रतिकर का पुनःअवधारण चाहता है। उपरोक्त पूर्व उल्लेखित विनिश्चय को दृष्टिगत रखते हुये, अपीलकर्ता ऐसे अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीः उसकी अधिकारिता यदि कोई हो तो, केवल संदर्भ न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर अधिनियम की धारा 28 क के संबंध में है।

6- तदानुसार, अपील खारिज की जाती हैं लंबित आवेदन (आवेदनो) यदि हो, निस्तारित कोई व्यय नही।

निधि जैन अपील खारिज.टी (1996) 6 एससीसी 746 (2017) एससीसी आनलाईन एससीसी 1453।